जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 49 संख्याः 186 प्रभात कोटा, शनिवार 20 अप्रेल, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राज्य की बारह सीटों पर मतदान के बाद, कांग्रेस का मनोबल कुलाचें मार रहा है

अब कांग्रेस का आकलन है कि, वह चुरू, झुंझुनूं व दौसा जीत रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। राजस्थान के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोट डाले गए।

कांग्रेस विशेष रूप से उत्साहित है।

आकलन ये है कि कांग्रेस चूरू, झुंझुनूं और दौसा में जीत रही है।

कांग्रेस पार्टी, जयपुर ग्रामीण और सीकर में कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस ने सीकर सीट अपने गठबंधन सहयोगी माकपा को दी हुई है।

इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए पिछले दो लोकसभा चुनावों की तुलना में बिल्कुल ही अलग स्थिति है जिनमें कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था।

आगामी 26 अप्रेल को राजस्थान में होने जा रहे मतदान के दूसरे चरण में भी कांग्रेस को कुछ सीटें जीतने की उम्मीद है।

राजस्थान में भाजपा ने हाल ही विधानसभा चुनाव जीता है, लेकिन राज्य की जनता का मूड इस बार अपेक्षाकृत फीका है और भाजपा भी स्वयं को सक्रिय करने में विफल रही है।

इसके साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने इस बार कड़ी चुनौती है।

- इसी लय में कांग्रेस का यह भी मानना है कि, जयपुर ग्रामीण व सीकर में भी कड़े संघर्ष में है। जैसा कि विदित ही है, सीकर की सीट कांग्रेस ने गठबंधन में मार्क्सवादी पार्टी को दी है।
- कांग्रेस को यह भी आशा है कि, मतदान के अगले चरण में, जो कि 26 अप्रेल को होगा, वह कुछ और सीट भी जीत सकती है।
- कांग्रेस यह विश्वासपूर्वक कह रही हैं कि, राजपूत, जाट, गुर्जर, मुसलमान व किसी हद तक अनुसूचित जातियां भी भाजपा के खिलाफ हो गयी हैं।
- और यह परिवर्तन बहुत मजबूती से यू.पी. में देखा जा सकता है।
- गत लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 62 सीटें जीती थीं यू.पी. में।
- बंगाल में मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ा है और भाजपा का मानना है कि, बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के कारण वह बंगाल में गत चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतेगी। पर यह खबर भी आ रही है कि, ममता बनर्जी जम कर लड़ रही हैं और अन्ततोगत्वा उनकी सीटें कम नहीं होगी।
- तमिलनाडू व केरल में भाजपा का प्रयास है कि, प्र.मंत्री मोदी के भारी फोकस के कारण वह कुछ सीटें जीत कर नया इतिहास बनायेगी, पर, वर्तमान में शायद नया इतिहास बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा।

राजपूत, जाट, गुर्जर, मुस्लिम और कुछ हद तक दलित भी भाजपा के खिलाफ हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश, जो कि अब तक भाजपा की रीढ़ की हड्डी रहा है, में जातिगत, समीकरण प्रकट रूप से काफी मजबूती से दिखते हैं।

पिछली बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटें जीती थीं और उस आंकड़े में इस बार अच्छी-खासी गिरावट की संभावना है।

मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं, जहाँ पिछली बार भाजपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अमेठी ने रिजैक्ट किया तो राहुल वायनाड आए हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को केरल के वायनाड में जबरदस्त रोड शो किया, यहां से उनकी पार्टी ने केरल भाजपा के अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन को कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है।

उन्होंने दावे के साथ कहा कि राहुल यहां उत्तर प्रदेश से हैं वे अपनी खानदानी अमेठी सीट छोड़ आए हैं क्योंकि अमेठी के लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है।

नड्डा ने कहाः "राहुल गांधी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद एवं तुष्टिकरण

- भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में एक सभा में कहा।

को बढ़ावा देते हैं। राहुल गांधी, भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ जुड़े रहे हैं, और वे स्वयं भी भ्रष्टाचार के मुकदमों में जमानत पर बाहर हैं। वो केवल वोट बैंक की राजनीति में संलिप्त रहते हैं, यही वो कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस सी.ए.ए. का विरोध कर रही है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस एस.डी.पी.आई. के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पी.एफ.आई. की राजनीतिक पार्टी है इसके साथ ही कांग्रेस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से भी समर्थन प्राप्त कर रही है। एस.डी.पी.आई. ने राज्य विधानसभा के चुनावों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिक्षक भर्ती पेपरलीक केस में ई.डी. कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 19 अप्रैल। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पांच आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। ईडी ने पांचों

- ई.डी. ने पुखराज, पीमाराम, सुरेश कुमार, विजय डामोर और अरूण शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के संबंध में पूरक अभियोजन शिकायत पेश की थी।

आरोपियों पुखराज, पीमाराम, सुरेश कुमार, विजय डामोर और अरुण शर्मा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2022 के तहत पूरक अभियोजन शिकायत पेश की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल व केरल के मु.मंत्री के बीच कटुता शुत्रता तक पहुंच गयी है

राहुल ने आमसभा में कहा, "मैं भाजपा की आलोचना चौबीस घंटे करता हूँ, पर मु.मंत्री विजयन चौबीस घंटे मेरी ही आलोचना में जुटे रहते हैं, यह माजरा क्या है"

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सहयोगी और राज्य में राजनीतिक प्रतिद्वंदी, इस स्थिति में यह उम्मीद करना उचित ही था कि, सी.पी.एम. (माकपा) और कांग्रेस पार्टी दक्षिण के राज्य केरल के चुनावी युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। लेकिन, कांग्रेस नेता राहुल गाँधी और केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन के बीच जिस हद तक कटुता है, उसे देखकर लोग चकित हैं।

हाल ही में कन्नूर की एक चुनाव रैली में, केन्द्रीय जाँच एजेन्सियों द्वारा विजयन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए राहुल गाँधी ने कहा, "दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, पर, केरल के मुख्य मंत्री विजयन आराम से स्वतंत्र घूम रहे हैं।" भाजपा के साथ विजयन के "लिंक" होने के संकेत देते हुए, राहुल ने आगे कहा, "वो (विजयन) कहते हैं कि भाजपा के साथ वो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन

- राहुल गांधी ने इसी लय में आगे कहा, दो मु.मंत्री जेल में हैं, पर, केरल के मु.मंत्री विजयन आराम से स्वतंत्र घूम रहे हैं।
- राहुल का इशारा मु.मंत्री विजयन के निजी सचिव के खिलाफ 2020 में सोने की तस्करी की गिरफ्तारी की ओर था तथा उन्होंने ई.डी. द्वारा विजयन की पुत्री को गैर कानूनी भुगतान के मामले में जांच प्रकरण की भी याद दिलाई।
- विजयन ने पलटवार करते हुए, राहुल पर कटाक्ष किया, सी.ए.ए. के मुद्दे पर राहुल व संघ परिवार का सोच व स्टैण्ड एक सा ही क्यों है।

मैं जानता हूँ कि, जब आप भाजपा के साथ सिद्धांतों पर लड़ते हैं तब वो आपके ऊपर हमला करने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। तथापि, केरल के मुख्यमंत्री पर कोई हमला नहीं हो रहा है। यह ऐसी बात है जिस पर केरल के लोगों को विचार करना चाहिए।"

स्पष्ट रुप से राहुल का संकेत ई.डी. द्वारा सन् 2020 में शुरु किए गए सोने की तस्करी के केस की तरफ था, जिसमें, मुख्यमंत्री के पूर्व प्रिंसिपल सैक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया था। ई.डी. इस समय अवैध भुगतान के एक मामले की जाँच कर रही है जिसमें विजयन की बेटी शामिल हैं। राहुल गाँधी ने कहा, "मैं चौबीस घंटे भाजपा पर हमले कर रहा हूं और केरल के मुख्यमंत्री चौबीस घंटे मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। यह कुछ अटपटा है।"

अपनी तरफ से विजयन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बुधवार को पलक्कड में एक रैली में विजयन ने पूछा, "कांग्रेस पार्टी और विशेष रुप से राहुल गांधी सिटिज़नशिप अमैन्डमैंट एक्ट (सी.ए.ए.) पर चुप क्यों है, जबकि, पिछले महीने ही इसके नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं। कांग्रेस को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि, सी.ए.ए. के बारे में उनका रुख भी वही है जो संघ परिवार का है।"

विजयन की इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता, वी.डी. सतीसन ने आरोप लगाया कि, मुख्यमंत्री विजयन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कृपा दृष्टि पाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "केरल के लोग यह समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि, उनका उद्देश्य कांग्रेस को कमज़ोर करने का है।"

डी.एम.के. विजय रथ को रोकने की क्षमता केवल अभिनेता राजनीतिज्ञ सीमान में है?

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। तमिलनाडू के चुनावों में द्रमुक के विपक्षी गठबंधन इंडिया की संभावनाओं को अगर कोई बनाया बिगाड़ सकता है तो वह एक्स फैक्टर है एक्टर से राजनेता बने सीमान व उनकी पार्टी नाम तिमझार काची की मौजूदगी

भाषण कला में माहिर इस वक्ता के कुछ ऐसे कठोर ओर शक्तिशाली विचार हैं जो तमिलों को प्रभावित कर सकते हैं और उनमें ऐसी ताकत है कि लोकसभा के चुनावों में बहुत ही कांटे की टक्कर में भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। वह और उनकी पार्टी तमिलनाडू की समस्त 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पड्डुचेरी केन्द्र शासित क्षेत्र में भी लड़ रही है तथा पार्टी का वोट शेयर प्रदेश में 5 से 8 प्रतिशत के नज़दीक रहने की अपेक्षा है।

प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार,

- सीमान की पार्टी, जिसके पास लगभग 5.8 प्रतिशत वोट हैं, स्वयं तो सीट नहीं जीत सकती लोकसभा चुनाव में, पर डी.एम.के. के वोट बैंक में सेंध लगाकर कांटे की टक्कर वाली सीट हरवा सकती है।
- सीमान स्वयं एक प्रभावशाली वक्ता हैं, अपने भाषणों में डी.एम.के. से भी ज्यादा "नॉर्थ" विरोधी हैं।
- उदाहरण के लिये, वे राम मंदिर विरोधी हैं तथा राम के मुकाबले स्थानीय देवता मुरूगन व शिव को खड़ा करते हैं।

राज्य 60 प्रतिशत से कुछ ही अधिक मतदान हुआ है, इससे यह संकेत मिलते हैं कि मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नहीं है और यह द्रमुक के अधिपत्य को चुनौती देने वालों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। अन्नाद्रमुक एवं भाजपा दोनों के बीच चुनावी गठबंधन टूट जाने से अब तमिलनाडू में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।

परन्तु सीमान फैक्टर, जो कि चौथा एक्स फैक्टर है उसको अधिकांशतः चुनाव विश्लेषणकर्ताओं ने अपना आकलन करते समय पूर्णरूप से नज़र अंदाज़ कर दिया था, हाँ, बहुत सारे चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के अनुसार द्रमुक को उम्मीद थी कि वे आसानी से अपने गढ़ में जीत जाएंगे, क्योंकि भाजपा का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहले चरण में 62.37 फीसदी मतदान

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता)। भारत की 18वीं लोक सभा के चुनावों के पहले चरण में शुक्रवार को 102 सीटों के लिये हुये मतदान में 62.37 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

लोकसभा की 102 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे कुल 1625

- त्रिपुरा में सर्वाधिक 80.17 फीसदी मतदान हुआ, बिहार में सबसे कम 48.50 प्रतिशत मतदाता ही वोट डालने पहुँचे।

उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के मेमोरी कार्ड में लॉक हो गया है। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेन्द्र यादव सहित आठ केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'तीन दिन में अरूणा रॉय व निखिल डे की अर्जी पर निर्णय लेंगे'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सक्षम प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि चुनावों को लेकर जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली यात्राओं या सार्वजनिक सभाओं की अनुमति चाहने वाले आवेदनों पर तीन दिन के भीतर निर्णय लिया जाए।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहरा की एक बैंच ने एक याचिका पर यह निर्देश दिए। याचिका में मांग की गई थी कि वर्तमान में जारी लोकसभा चुनावों के आधार पर ही आपराधिक आचार संहिता (सी.आर. पी.सी.) की धारा 144 के अन्तर्गत जो प्रतिबंधी आदेश जारी किए गए थे, उन्हें रद्द किया जाए।

बैंच ने इस प्रकरण की सुनवाई दो हफ्ते बाद तय करते हुए इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि चुनावों के दौरान किसी सभा को निषिद्ध करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। उसने प्रश्न किया कि ऐसे आदेश कैसे दिए जा सकते हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय और निखिल डे की ओर उपस्थित एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बैंच को बताया कि पिछले छह माह से चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम आने तक के लिए सी.आर. पी.सी. की धारा 144 के तहत पूर्ण आदेश जारी किए जाते रहे हैं।

बैंच को बताया गया कि इस प्रकार के आदेश चुनावों के दौरान लोगों के एकजुट होने, सभाएं करने और प्रदर्शन करने को प्रतिबंधित करते हैं।

भूषण ने कहा कि अरूणा रॉय और निखिल डे, दोनों ने ही पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्य सरकार व मजिस्ट्रेट, चुनाव के पहले किसी भी प्रकार की यात्रा, धरना या सभाएं आयोजित करने पर "ब्लैंकेट ऑर्डर" पास कर देती है, "यह कैसे हो सकता है"?
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चुनाव आयोजित करना कोई जायज़ कारण नहीं है, सब प्रकार के धरने, प्रदर्शन सभा व यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, शायद ये आदेश "मैकैनिकली" जारी किये गये हैं, क्योंकि सैक्शन 144 लागू करने के लिये न तो गहरायी से सोचा गया है, न ही इस बात के पक्ष में कारण बताये गये हैं कि, चुनाव की तिथि घोषित हो जाने से चुनाव के नतीजे आने तक, क्यों धारा 144 लगाना आवश्यक है।

शिक्षित करने के लिए एक "यात्रा" के संचालन की अनुमति मांगी थी।

लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को ऐसे आवेदनों पर एक नियत समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय और निखिल डे ने शीर्ष अदालत की शरण लेकर उससे अनुरोध किया है कि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी भी चुनाव से पूर्व मजिस्ट्रेटों और राज्य सरकारों द्वारा धारा 144 के तहत मनमाने आदेश जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगाए। इन आदेशों के तहत चुनाव परिणाम की घोषणा तक जनता द्वारा सभाएं व सम्मेलन करने और जुलूस निकालने और धरना देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

अरूणा रॉय और निखिल डे की याचिका में कहा गया है कि ये निषेधात्मक आदेश चुनावों से पूर्व किसी मुद्दे पर मुक्त चर्चा करने, उसमें भाग लेने और उसका आयोजन करने अथवा उसे आगे बढ़ाने में सभ्य समाज और आमजन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

वर्ष 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सी.आर.पी.सी.) की धारा 144 किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके तहत किसी क्षेत्र में हाल ही हुई असामाजिक घटना अथवा उससे आसन्न खतरे को रोकने के लिए वहाँ चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगायी जा सकती है।

चुनाव संचालित करने के लिए धारा 144 लगाना धारा 144 के ही अन्तर्गत कोई वैध आधार नहीं है और ना ही यह ऐसी कोई अत्यावश्यक स्थिति है जिसमें ऐसे व्यापक निषेधात्मक आदेश लागू किए जाने को न्यायसंगत ठहराया जा सके। याचिका में कहा गया है कि यहाँ धारा 144 के सभी आदेश विवादित हैं, उन्हें आम जनता पर निषेधाज्ञा लगाने के उचित कारण अथवा अत्यावश्यकता का औचित्य ठहराए बिना पारित किया गया है और यह वोट देने के अधिकार के साथ अवैध रूप से हस्तक्षेप करने के समान है।

याचिकाकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये निषेधाज्ञाएं उन लोगों सहित सभी पर लागू हैं, जिनका कोई एजेण्डा या उद्देश्य नहीं है और जो किसी राजनीतिक पार्टी अथवा प्रत्याशी से भी संबंधित नहीं है।